न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
8-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन हा./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 30-9-21 को पेश हो।	
30-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन ... पीठासीन अधिकारी ... कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 24-11-21 को पेश हो।	
24.11.2021 24-11-21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढ़ाणी में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पचायंत– बुर्जा की ढ़ाणी में आयोजित शिविर में उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री हनुमान राम सामोता एड0 ने की एंव उपस्थित अन्य पक्षकारान् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की पहचान श्री रामकिशन, सरपंच, ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र का आज ही लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढ़ाणी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (दिलीप सिंह राठौड़) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प बुर्जा की ढ़ाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी प. स. अजीतगढ़ (सीकर) राज. सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी प. स. अजीतगढ़ (सीकर) राज. सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी अजीतगढ़ (सीकर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:32:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान कैम्पः— बुर्जा की ढाणी

पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2021	2021/11	11.01.2021	24.11.2021

उनवान

कैलाश पुत्र बोदूराम जाति जाट उम्र— 30 वर्ष, निवासी बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादी

बनाम्

1. राजवीर सिंह शेखावत पुत्र मेघसिंह शेखावत, उम्र— 42 वर्ष, जाति राजपूत निवासी हरदास का बास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. मनभरी पत्नि बोदूराम आयु 60 वर्ष
3. बनारसी देवी पुत्री बोदूराम आयु 38 वर्ष
4. संतोष देवी पुत्री बोदूराम आयु 33 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. पटवारी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

7. गोपाल राम पुत्र बोदूराम उम्र 36 वर्ष
8. प्रकाश चन्द्र पुत्र बोदूराम उम्र 22 वर्ष
9. बनवारी लाल पुत्र बोदूराम उम्र 26 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासी बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित—

श्री दीपक बाजिया , वादीगण अभिभाषक ।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2157 ता 2168 एंव 2176 कुल किता 13 रकबा 5.99 हैक्टयर तन ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 के पति/पिता के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के पति/पिता की मृत्यु दिनांक 14.03.2020 को हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है। जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के पति/पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित भूमि में अपने 1/3 हिस्से सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 21.09.2016 को बेचान कर दी थी; परन्तु उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सम्भलाया नही गया था बल्कि कब्जा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के पति/पिता का ही रहा है। उक्त भूमि का नामांतकरण खुलवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था। जो कब्जा के अभाव में ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 20.12.2016 को निरस्त कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 का नामांतकरण आवेदन खारिज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां एक अपील उनवानी राजवीर सिंह बनाम् ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी मुकदमा संख्या 10/2017 पेश कर दी गई थी। प्रतिवादी स. 1 ने उक्त वर्णित खरीदशुदा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिफल राशि 8,60,000/–रूपये प्राप्त कर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के नाम दिनांक 13.08.2019 को उप पंजीयक अजीतगढ़ में तस्दीक करवा दिया था। यहॉ यह- उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर कब्जा सदैव से ही वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के पति/पिता का ही रहा था। जो उनकी मृत्यु उपरांत विरासत से उनके वारिसान् वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के पास है। इस कारण वर्तमान में कब्जा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के पास चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील उनवानी राजवीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी अपील संख्या 10/2017 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 07.08.2019 को जरिये राजीनामा विडा कर [illegible] अपील वर्तमान में किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के नाम वादपत्र में वर्णित भूमि जो कि रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 13.08.2019 से खरीदशुदा है, जिसकी खातेदारी वर्तमान में बोदू पुत्र पन्ना के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस पर अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 1/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का कोई हक, अधिकार वर्तमान में नहीं है। जिसका नामान्तकरण पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी द्वारा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के नाम दिनांक 02.01.2021 को खोलने से मना करने व न्यायालय से डिक्री लेकर आने पर ही नामातंकरण खोलने की कहने के कारण बिनाय दावा उत्पन्न होकर न्यायालय के समक्ष दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:– यह कि घोषणा की जावें कि भूमि खसरा नम्बर 2157 ता 2168 एंव 2176 कुल किता 13 कुल रकबा 5.99 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के 1/3 हिस्सा की खातेदारी में बोदू पुत्र पन्ना निवासी तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी का नाम हजफ किया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम खातेदारी हिस्सा अनुसार बराबर–बराबर दर्ज करवाये जाने बाबत उक्त दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढाणी में आयोजित शिविर दिनांक 24.11.2021 में पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित आये। जिनमें उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री हनुमान राम सामोता एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 की पहचान श्री रामकिशन, सरंपच, ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी के द्वारा की गई। पक्षकारान् प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में दौराने शिविर में उपस्थित होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश किया। जो दौराने शिविर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढाणी के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से एंव शिविर में उपस्थित पक्षकारान् ने भी अपनी–अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किंया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा वादी के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में अपनी सहमति प्रदान किये जाने [illegible] में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादी अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 7 से 9 के मृत्तक पिता/पति बोदू पुत्र पन्ना हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 7 से 9 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृत्तक बोदूराम के वारिसान् पत्नि – पुत्र – पुत्रीगण ही है। उक्त वादग्रस्त भूमियों को मृत्तक बोदूराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 राजवीर सिंह शेखावत को जरिये विक्रय लेख दिनांक 21.09.2016 को विक्रय करना तथा बाद में उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 से 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 13.08.2019 को विक्रय किया जाना प्रस्तुत विक्रय लेखों की फोटो प्रतियों से प्रमाणित होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2157 ता 2168 एंव 2176 कुल किता 13 कुल रकबा 5.99 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर के 1/3 हिस्सा की खातेदारी में बोदू पुत्र पन्ना निवासी तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम खातेदारी हिस्सा अनुसार बराबर-बराबर दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

-: क्रियात्मक आदेश :-

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी वाद बाबत उद्घोषणा को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2157

24/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लगायत 2168 एंव 2176 कुल किता 13 कुल रकबा 5.99 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर के 1/3 हिस्सा की खातेदारी में बोदू पुत्र पन्ना निवासी तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम खातेदारी हिस्सा अनुसार बराबर–बराबर दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

24/11/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर फास्टट्रेक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः– बुर्जा की ढ़ाणी

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– बुर्जा की ढ़ाणी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

24/11/21

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

सहायक कलक्टर फास्टट्रेक

श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः– बुर्जा की ढ़ाणी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested